412

संख्या– 793 /IV(2)-श0वि0-30(सा0)-2015

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2

देहरादून : दिनांक 17 अगस्त, 2015

विषय : वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में नगर पंचायत, नौगांव (जिला–उत्तरकाशी) को अवस्थापना विकास निधि से धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि नवगठित नगर पंचायत, नौगांव द्वारा निकाय क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों के प्रस्ताव/आगणन अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराए गए हैं। तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर पंचायत, नौगांव को संलग्नक–1 में उल्लिखित विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु कार्यवार संस्तुत **कुल ₹13.90 लाख (रूपये तेरह लाख नब्बे हजार मात्र)** की धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) उक्त धनराशि **कुल ₹13.90 लाख (रूपये तेरह लाख नब्बे हजार मात्र)**आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगर पंचायत, नौगांव को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

(ii) निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

(iii) स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्यियता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

(iv) निर्माण कार्यों को नवीन एस0ओ0आर0 में जारी निर्देशों के अनुरूप पूर्ण कराया जायेगा तथा इस हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि से इतर कोई भी धनराशि अवमुक्त नहीं की जायेगी।

(v) सभी निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानको के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेंगे।

(vi) कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

(vii) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु नगर निकाय/कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

(viii)स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

(ix) निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।

(x) मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।

..2/-....

(xi) उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से करा लिया गया है, तो उक्त स्वीकृत कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।

(xii) नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा 3 वर्ष तक अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी।

(xiii)धनराशि का दिनांक 31–3–2016 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

2– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक के **अनुदान सं0–13** के लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास– आयोजनागत–191–स्थानीय निकायो, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डो को सहायता–03–नगरों का समेकित विकास–05–नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास''–'20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता' के नामे डाला जाएगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 88/XXVII(2)कार्य/2005, दिनांक 21.02.2005 में प्रदत्त दिशा–निर्देशों के अनुरूप जारी किये जा रहा है।

4– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 183/XXVII(1)/2012, दिनांक 28.03.2012 में सुनिश्चित व्यवस्थानुसार अलॉटमेन्ट आई डी–S.1500130003 के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

सं0–993(1)/IV(2)-श0वि0–2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/शहरी विकास मंत्री जी।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि शहरी विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
9. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, नौगांव।
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(डी0एम0एस0 राणा)
उप सचिव।

..3/-....

संलग्नक–1

शासनादेश सं0: 993 /IV(2)-श0वि0–30(सा0)–2015, दिनांक 17 अगस्त, 2015 का संलग्नक।

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत धनराशि
1.	मुराडी में पंचायत भवन से मनवीर के भवन तक जाने वाले मार्ग का सी0सी0 सड़क निर्माण।	2.50
2.	सौली में यमनोत्री मार्ग से श्यामलाल के भवन के आगे तक जाने वाले मार्ग का सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	1.70
3.	स्योरी रोड़ से मध्यसौली तक जाने वाले मार्ग का सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	3.00
4.	एन0एच0 मार्ग से महिमा के भवन के ऊपर तक सी0सी0 सड़क एवं रेलिंग निर्माण कार्य।	3.00
5.	मेन मार्ग से बिजेन्द्र डिमरी के भवन से आगे तक जाने वाले मार्ग का सी0सी0 सड़क निर्माण।	1.80
6.	पुरोला रोड मुगरा पुल बैन्ड तक जाने वाले सम्पर्क मार्ग का सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	1.90
	योग–	**13.90**

(रूपये तेरह लाख नब्बे हजार मात्र)

(डी0एम0एस0 राणा)
उप सचिव।